

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम रौरा कलां व मेंहदीनगर की खसरा/गाटा संख्या-222 व 154 रामपुर-बरेली मार्ग पुराना एन0एच0-24 एवं न्यू एन0एच0-530 किमी0 चैनेज 206.180 की दांयी पटरी पर मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1917 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/144077/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-243/81-2-2021-800(188)/2021 दिनांक 24 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 24-12-2021 15:13:55 पर्यावरण, वन एवं जलवायु

Reason: Approved

हस्ताक्षर
(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

(सचिव) ना

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित